न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
श्री हीराराम पुत्र मोनाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्द्री, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
2. श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय श्री कूपाराम, जाति-मेघवाल, निवासी- चडुआल, हाल निवासी- कालन्द्री, तहसील- सिरोही, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 17/2018

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह डाबी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री गोविन्द राम, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 08 सितम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी हीराराम पुत्र मोनाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्द्री द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री कूपाराम पुत्र मगाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्द्री के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कालन्द्री से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द राम उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार समय दिया जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या-1 का जवाब बन्द किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मूल रुप से कालन्द्री का रहने वाला है तथा उसके कब्जे शुदा प्लोट गांव कालन्द्री में आया हुआ है। उक्त प्लोट का ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा पटटा संख्या 34 दिनांक 24.10.1974 को हीरा, मोना पुत्र जगा मेगवाल के नाम से जारी शुदा है। जिसकी चतुर्दशी में उतर दिशा में ठाकरीराम पुत्र हदाजी का प्लोट नम्बर 26, दक्षिण दिशा में भूराराम पुत्र खुमा का प्लोट नम्[illegible] दिशा में पानी की गली 10 फीट की एवं पश्चिम दिशा में [illegible] रास्ता [illegible] है एवं इस पट्टेशुदा भूखण्ड

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का नाप उत्तर-दक्षिण 60 फीट व पूर्व-पश्चिम 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 का पति जो की गांव चड़ुआल का निवासी है, जिसके हक मे ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा पटटा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 गलत रूप से जारी किया है। उक्त पटटा संख्या 33 की चतुर्दशी पूर्व मे ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा प्रार्थी के हक मे जारी पटटा संख्या 34 की चतुर्दशी से मिलती हुई है। उक्त चतुर्दशी के भूखण्ड पर पर प्रार्थी अपने पूर्व रसाधिकारीयों के समय से अर्थात पट्टा जारी होने की तारीख से काबिज है। जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कालन्द्री को पूर्व से होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत कालन्द्री ने अप्रार्थी संख्या 2 के पति के हक मे गलत रूप से पटटा जारी किया है। पट्टेशुदा भूमि का कानूनन पुनः पट्टा जारी नही किया जा सकता है। यह कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पति के नाम से गलत रुप से पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 का न तो आवासीय मकान है एवं न ही कब्जा है। अप्रार्थी संख्या-2 का पति पुलिस विभाग में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत होने से उसने ग्राम पंचायत, कालन्द्री के तत्कालीन सरपच व सचिव से मेलमिलाप कर गलत रुप से पट्टा जारी करवाया है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 का पति मूल से ग्राम चड़ुआल का निवासी होने के कारण ग्राम पंचायत, कालन्द्री से ग्राम कालन्द्री में भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। यह कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पति के पक्ष में गांव के छोटे तालाब की भूमि का पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पति के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि छोटे तालाब की भूमि में पट्टे की भूमि स्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि नदी, नालो, तालाबों आदि की भूमि का आवंटन व नियमन नही किया जा सकता है। चूंकि इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत, कालन्द्री ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में गांव के छोटे तालाब की भूमि का पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्रीमति सीतादेवी पत्नि कूपाराम जी मेघवाल के मालिकी एवं कब्जे स्वामित्व का आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड ग्राम कालन्द्री में आया हुआ है, जिसकी मिसल संख्या 246 तारीख दायर दिनांक 31.10.1981 मिसल फैसल 03.11.1981 पट्टा नम्बर 33 ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा दिनांक 08.11.1981 को अप्रार्थी संख्या 2 के पति कूपाराम पुत्र मगाजी जाति मेघवाल निवासी कालन्द्री के नाम से जारी शुदा हैं। अप्रार्थी संख्या-2 के पति के इस आवासीय पट्टे शुदा व कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड की चतुर्दशी में पूर्व में पंचायत भूमि व 10 [illegible] पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट का मुख्य द्वार, उत्तर में ठाकरी हरा मे[illegible] के भूखण्ड व दक्षिण में भूराराम खुमाजी मेघवाल का भूखण्ड है एवं नाप 30 [illegible] 1350 वर्गफीट है। अप्रार्थी सीतादेवी

...पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के पति कूपाराम जी ग्राम कालन्द्री के ही निवासी थे तथा ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा नियमानुसार वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को अप्रार्थी संख्या-2 के पति कूपाराम जी के पक्ष में जारी किया गया है, इस पट्टेशुदा भूखण्ड पर स्वर्गीय कूपाराम जी काबिज रहे है तथा मौके पर कूपाराम जी का परिवार निवास कर रहा है। अप्रार्थी सीतोदेवी ने अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर निर्माण हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत कालन्दी से दिनांक 12.12.2014 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मकान निर्माण करवाया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पति कूपाराम जी के नाम से जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 जो कि गांव के छोटे तालाब की भूमि के पास स्थित है जो ग्राम पंचायत, कालन्द्री की आबादी भूमि का जारी किया गया है, लेकिन सहवन से पट्टे में छोटे तालाब की भूमि अंकन हो गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या-2 के पति को तालाब की भूमि का पट्टा जारी नही किया गया है, बल्कि तालाब के पास स्थित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 के पति के नाम से जारी पट्टेशुदा भूमि के आस-पास अन्य लोगों के मकानात बने हुए है एवं इस पट्टेशुदा भूमि के मौके पर कोई तालाब नही है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी स्वयं ने कुटरचना कर ग्राम पंचायत, कालन्द्री से गलत रुप से पट्टा संख्या 34 प्राप्त किया है, जिसके अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि इस पट्टे में बाद में हीरा नाम अंकित किया गया है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही में एक वाद वास्ते आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। इस दीवानी वि.प्र.संख्या: 02/15 में माननीय सिविल न्यायालय, क.ख., सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय, क.ख. सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 के विरुद्ध प्रार्थी हीराराम द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की थी। इस सिविल विविध अपील संख्या 07/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.7.2018 के अनुसार प्रार्थी हीराराम की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 की पुष्टि की गई। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 के पति कूपाराम जी को प्रार्थी के पट्टे की भूमि का पट्टा जारी नही किया गया है एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 के पति ने प्रार्थी के पट्टे की भूमि पर कब्जा किया है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्द्री के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पति कूपाराम जी के नाम से पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को जारी किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, कालन्द्री से प्राप्त [illegible] का अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री कूपाराम पुत्र मगाजी, [illegible]ाल, निवासी- कालन्द्री के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट [illegible] संख्या 33 दिनांक

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

08.11.1981 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री के रेकर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री कूपाराम पुत्र मगाजी, जाति- मेघवाल द्वारा ग्राम पंचायत, कालन्द्री में नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड़ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा मिसल संख्या 246 दिनांक 31.10.1981 को दायर की गई है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा दिनांक 03.11.1981 को श्री कूपाराम पुत्र मगाजी मेघवाल के पक्ष में 150 वर्गगज अर्थात् 1350 वर्गफीट भूखण्ड नि:शुल्क आवंटन करने का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री कूपाराम पुत्र मगाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- कालन्द्री के पक्ष में 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ नि:शुल्क आवंटन का पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 को जारी किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी हीराराम की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 33 दिनांक 08.11.1981 से संबंधित भूमि जिस खसरे में स्थित है उस खसरे की भूमि राजस्व अभिलेख में तालाब की भूमि दर्ज हो। जबकि अप्रार्थी सीतादेवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा सीतादेवी पत्नी कूपाराम जी, जाति- मेघवाल, ग्राम कालन्द्री को निर्माण कार्य करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक:ग्रा.पं.का./2014/196 दिनांक 12.12.2014 को जारी किया गया है। अप्रार्थी सीतादेवी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौके पर आवासीय मकान बना हुआ है। अप्रार्थी सीतादेवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रार्थी हीराराम ने अप्रार्थी सीतादेवी के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय, क.ख. सिरोही में एक वाद वास्ते आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। इस वाद के साथ प्रार्थी हीराराम द्वारा अप्रार्थी सीतादेवी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा दीवानी वि.प्र.सं. 02/15 में पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीया अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया गया। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 के विरुद्ध प्रार्थी हीराराम द्वारा माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय जिला न्यायाधीश, सिरोही द्वारा सिविल विविध अपील संख्या: 07/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.7.2018 के अनुसार प्रार्थी हीराराम की ओर प्रस्तुत अपील विरुद्ध अप्रार्थी सीता देवी निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.5.2016 की पुष्टि की गई है। इस प्रकार, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही